



2026:AHC:177029

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन बीएनएसएस धारा 482 के तहत संख्या - 7417 वर्ष

2026

धर्म प्रकाश उर्फ धर्मू

.....आवेदक(गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य एवं 3 अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अर्जुन सिंह यादव, बाबु लाल राम

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए., प्रमोद कुमार श्रीवास्तव

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह,

1. आज दाखिल किया गया अनुपूरक शपथपत्र अभिलेख पर लिया गया है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अर्जुन सिंह यादव, सूचनाकर्ता के विद्वान् अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की ओर से पेश हुए श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, राज्य के विद्वान् एजीए के तर्क सुने और अभिलेख का परिशीलन किया।
3. यह आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 197/2024 (धारा 351(3) बीएनएसएस और धारा 5ड/6 पोक्सो अधिनियम, थाना समथर, जिला झांसी) में अग्रिम जमानत की मांग के लिए दायर की गई है।
4. आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक पूरी तरह बेगुनाह है और उसे इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है; कथित अपराध से उसका कोई लेना-देना नहीं है, फिर भी पुलिस उसे

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!



गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। आगे यह भी कहा गया है कि आवेदक के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण तरीके से मुकदमा चलाया जा रहा है; उसी घटना के संबंध में, आवेदक ने धारा 175(3) बीएनएसएस के तहत एक आवेदन दिया था और पहले वाली प्राथमिकी के जवाब में, सूचनाकर्ता पक्ष के खिलाफ 28.05.2025 को आपराधिक वाद संख्या 392/2025 (धारा 311 बीएनएस) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मौजूदा प्राथमिकी 30.11.2024 को धारा 351(3) बीएनएस और धारा 5ड/6 पोक्सो अधिनियम के तहत दर्ज की गई थी। यह प्राथमिकी दंडाधिकारी के आदेश पर धारा 175(3) बीएनएसएस के तहत दायर आवेदन के आधार पर दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया है कि आवेदक ने लगभग 8 साल के लड़के के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया था। इस प्रकरण में आरोपपत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है, इसलिए आवेदक से हिरासत में पूछताछ की कोई ज़रूरत नहीं है। आवेदक के अधिवक्ता ने यह भी कहा है कि आवेदक विवेचना और विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और जब भी विवेचना अभिकरण या संबंधित न्यायालय बुलाएगी, वह पेश होगा। यह भी कहा गया है कि अगर आवेदक को अग्रिम जमानत मिलती है, तो वह जमानत की आज्ञादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, विवेचना में सहयोग करेगा और न्यायालय द्वारा लगाई गई सभी शर्तों का पालन करेगा।

5. इसके विपरीत, राज्य के एजीए और सूचनाकर्ता के अधिवक्ता ने इस मांग का जोरदार विरोध किया और कहा कि आवेदक को इस प्रकरण की पूरी जानकारी है। आरोपपत्र और 07.03.2025 के समन आदेश के बाद, उसने धारा 528 बीएनएसएस संख्या 17222/2025 के तहत एक आवेदन दी थी, जिसे इस न्यायालय ने 28.08.2025 के आदेश से निस्तारित किया था और आवेदक को संबंधित न्यायालय के सामने अभ्यर्पण करने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया गया था। धारा 528 बीएनएसएस संख्या 17222/2025 के तहत आवेदन के अलावा, आवेदक ने आपराधिक निगरानी संख्या 7409/2025 भी दायर किया था, जिसे इस न्यायालय ने 29.01.2026 के आदेश से निस्तारित किया था। आवेदक ने माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने एसएलपी (आपराधिक) संख्या 10283/2026 दायर की थी, जिसे भी 22.05.2026 के आदेश से खारिज कर दिया गया था। कई आदेशों के बावजूद, आवेदक संबंधित न्यायालय के सामने पेश नहीं हो रहा है, बल्कि न्यायालय की प्रक्रिया से बच रहा है और उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है।

6. मैंने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क सुने हैं और अभिलेख का अवलोकन किया है।



7. आवेदक पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि उसने लगभग 8 साल के लड़के के साथ अप्राकृतिक अपराध किया है। आवेदक के खिलाफ आरोपपत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है। उसने इस न्यायालय के सामने कई आवेदन/याचिकाएँ दायर कीं, लेकिन सफल नहीं हुआ। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी एसएलपी (आपराधिक) संख्या 10283/2026 में उसे कोई राहत नहीं दी। आवेदक के खिलाफ गैर-ज़मानती वारंट भी जारी किया गया है।

8. श्रीकांत उपाध्याय और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य, (2024) 12 एससीसी 382 के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अग्रिम ज़मानत देने की शक्ति एक असाधारण शक्ति है। इस शक्ति का इस्तेमाल करते समय न्यायालय को बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि गंभीर मामलों में आरोपी को अंतरिम सुरक्षा या सुरक्षा देने से न्याय में बाधा आ सकती है। जब गिरफ्तारी का वारंट या उद्घोषणा जारी की जाती है, तो आवेदक इस असाधारण शक्ति का इस्तेमाल करने का हकदार नहीं होता है। श्रीकांत उपाध्याय (ऊपर) प्रकरण का संबंधित प्रस्तर संख्या 30 नीचे दिया गया है:

"30. हमने पहले ही कहा है कि अग्रिम ज़मानत देने की शक्ति एक असाधारण शक्ति है। हालाँकि कई मामलों में यह कहा गया है कि ज़मानत मिलना एक नियम है, लेकिन किसी भी तरह से यह नहीं कहा जा सकता कि अग्रिम ज़मानत मिलना भी एक नियम है। यह नियम नहीं हो सकता और इसे देने का सवाल हर प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर न्यायालय के सावधानीपूर्वक और समझदारी भरे विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए। इस शक्ति का इस्तेमाल करते समय, संबंधित न्यायालय को बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि गंभीर मामलों में आरोपी को अंतरिम सुरक्षा या सुरक्षा देने से न्याय में बाधा आ सकती है और इससे विवेचना में काफी रुकावट आ सकती है, क्योंकि कभी-कभी इससे साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ या उन्हें नष्ट करने की कोशिश हो सकती है। हमारा यह मतलब नहीं है कि न्यायालय ऐसे आवेदन पर विचार करने के दौरान कोई अंतरिम सुरक्षा नहीं दे सकता, क्योंकि यह धारा किसी व्यक्ति की आज़ादी को बिना वजह गिरफ्तारी से बचाने के लिए है और हम कहते हैं कि ऐसे आदेश बहुत ज़रूरी मामलों में ही दिए जाने चाहिए। वैसे भी, जब गिरफ्तारी का वारंट या उद्घोषणा जारी हो जाती है, तो आवेदक इस असाधारण अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकता। बेशक,



इससे न्यायालय की वह शक्ति कम नहीं होती जिससे वह न्याय के हित में बहुत ही खास या असाधारण मामलों में गिरफ्तारी से पहले ज़मानत दे सकता है। लेकिन, जो व्यक्ति लगातार आदेशों की अवहेलना करता है और फ़रार रहता है, वह ऐसी राहत पाने का हकदार नहीं है।"

9. पी. चिदंबरम बनाम प्रवर्तन निदेशालय, (2019) 9 एससीसी 24 के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि गिरफ्तारी विवेचना प्रक्रिया का एक हिस्सा है, जिसका मकसद न केवल आरोपी की मौजूदगी सुनिश्चित करना है, बल्कि कई अन्य उद्देश्य भी पूरे करना है। दं.प्र.सं. की धारा 438 / बीएनएसएस की धारा 482 के तहत मिली शक्ति का इस्तेमाल बहुत सोच-समझकर और कम ही किया जाना चाहिए। गिरफ्तारी से पहले ज़मानत की सुविधा केवल असाधारण मामलों में ही दी जानी चाहिए। पी. चिदंबरम (ऊपर) प्रकरण का संबंधित प्रस्तर संख्या 69 नीचे दिया गया है:

"69. आम तौर पर, गिरफ्तारी विवेचना प्रक्रिया का एक हिस्सा है, जिसका मकसद न केवल आरोपी की मौजूदगी सुनिश्चित करना है, बल्कि कई अन्य उद्देश्य भी पूरे करना है। दं.प्र.सं. की धारा 438 के तहत मिली शक्ति एक असाधारण शक्ति है और इसका इस्तेमाल बहुत सोच-समझकर और कम ही किया जाना चाहिए। गिरफ्तारी से पहले ज़मानत की सुविधा केवल असाधारण मामलों में ही दी जानी चाहिए। न्यायालय को मिली न्यायिक शक्ति का इस्तेमाल सही ढंग से किया जाना चाहिए; इसके लिए आरोप की प्रकृति और गंभीरता, आवेदक के न्याय से भागने की संभावना और अन्य कारकों पर विचार करना ज़रूरी है ताकि यह तय किया जा सके कि क्या यह अग्रिम ज़मानत देने के लिए सही प्रकरण है। अग्रिम ज़मानत देने से कुछ हद तक अपराध की विवेचना में दखल पड़ता है, इसलिए अग्रिम ज़मानत देने की शक्ति का इस्तेमाल करते समय न्यायालय को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। अग्रिम ज़मानत कोई नियम नहीं है कि यह दी ही जाएगी; यह तभी दी जानी चाहिए जब न्यायालय को यकीन हो जाए कि इस खास उपाय को अपनाने के लिए असाधारण हालात मौजूद हैं।"



10. यहाँ माननीय उच्चतम न्यायालय के एक फैसले का ज़िक्र करना सही रहेगा, जिसका शीर्षक है किशोर विश्वासराव पाटिल बनाम दीपक यशवंत पाटिल और अन्य, 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 2528; इसके संबंधित प्रस्तर संख्या 14 और 15 इस प्रकार हैं:

"14.....

74. आम तौर पर, गिरफ्तारी विवेचना प्रक्रिया का एक हिस्सा होती है जिसका मकसद कई उद्देश्यों को पूरा करना होता है। ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जिनमें आरोपी ऐसी जानकारी दे सकता है जिससे अहम तथ्यों और ज़रूरी जानकारी का पता चल सके। अग्रिम ज़मानत देने से विवेचना में बाधा आ सकती है। अग्रिम ज़मानत का मकसद व्यक्ति की व्यक्तिगत आज़ादी के अधिकार और विवेचना अभिकरण के उस अधिकार के बीच संतुलन बनाना है, जिसके तहत वह आरोपी से अब तक इकट्ठा की गई सामग्री के बारे में पूछताछ कर सके और और जानकारी इकट्ठा कर सके जिससे ज़रूरी जानकारी मिल सके.....

6.....

75. यह देखते हुए कि गिरफ्तारी विवेचना प्रक्रिया का एक हिस्सा है जिसका मकसद कई उद्देश्यों को पूरा करना है, अद्वि धरण दास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य [अद्वि धरण दास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (2005) 4 एससीसी 303: 2005 एससीसी (क्रि) 933] प्रकरण में यह कहा गया था: (एससीसी पृष्ठ 313, प्रस्तर 19)

"19. आम तौर पर, गिरफ्तारी विवेचना प्रक्रिया का एक हिस्सा होती है जिसका मकसद कई उद्देश्यों को पूरा करना होता है। आरोपी से अपराध के मकसद, तैयारी, अपराध करने और उसके बाद की घटनाओं, और अपराध में शामिल अन्य लोगों (यदि कोई हों) के संबंध के बारे में विस्तार से पूछताछ करनी पड़ सकती है। ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जिनमें आरोपी ऐसी जानकारी दे सकता है जिससे अहम तथ्यों का पता चल सके। विवेचना को बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ाने और साक्षियों तथा अपराध के पीड़ित से जुड़े लोगों की सुरक्षा करने, आरोपी के गायब होने से रोकने और इलाके में विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसकी

आज़ादी पर रोक लगाना ज़रूरी हो सकता है। इन या अन्य कारणों से, गिरफ्तारी विवेचना प्रक्रिया का एक ज़रूरी हिस्सा बन सकती है। संहिता की धारा 438 के तहत आवेदन पर विचार करते समय प्रस्तावित गिरफ्तारी की विधिक वैधता पर बात नहीं की जा सकती। विवेचना करने वाले की भूमिका अच्छी तरह से तय है और विवेचना की प्रक्रिया में न्यायालय के दखल का दायरा सीमित है। न्यायालय आम तौर पर किसी अपराध की विवेचना या संज्ञेय अपराध में आरोपी की गिरफ्तारी में दखल नहीं देगा। अगर संहिता की धारा 438 के तहत आवेदन पर सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी रोकने का कोई अंतरिम आदेश दिया जाता है, तो यह विवेचना में दखल माना जाएगा, जो किसी भी हाल में संहिता की धारा 438 के तहत नहीं किया जा सकता।"

76. **सिद्धराम सतलिंगप्पा महेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, (2011) 1 एससीसी 694: (2011) 1 एससीसी (क्रि) 514]** प्रकरण में, उच्चतम न्यायालय ने अग्रिम ज़मानत पर विचार करते समय ध्यान में रखे जाने वाले कारकों और पैमानों को तय किया। यह कहा गया कि अग्रिम आरोप की प्रकृति और गंभीरता तथा आरोपी की सटीक भूमिका को ठीक से समझा जाना चाहिए और न्यायालय को आरोपी के खिलाफ़ उपलब्ध सामग्री का बहुत सावधानी से मूल्यांकन करना चाहिए। यह भी कहा गया कि न्यायालय को इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि क्या आरोप केवल आवेदक को गिरफ्तार करके उसे नुकसान पहुँचाने या अपमानित करने के मकसद से लगाए गए हैं।

77. **सिद्धराम सतलिंगप्पा महेत्रे [सिद्धराम सतलिंगप्पा महेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एससीसी 694: (2011) 1 एससीसी (क्रि) 514]** और अन्य फैसलों का ज़िक्र करने और यह देखते हुए कि अग्रिम ज़मानत केवल असाधारण परिस्थितियों में ही दी जा सकती है, **जय प्रकाश सिंह बनाम बिहार राज्य [जय प्रकाश सिंह बनाम बिहार राज्य, (2012) 4 एससीसी 379: (2012) 2 एससीसी (क्रि) 468]** प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार कहा: (एससीसी पृष्ठ 386, प्रस्तर 19)

"19. गंभीर अपराध में अग्रिम जमानत देने के लिए ज़रूरी शर्तों को पूरा करना होता है और ऐसी राहत देते समय न्यायालय को इसके कारण भी दर्ज करने होते हैं। अग्रिम जमानत केवल खास हालात में ही दी जा सकती है, जब न्यायालय को पहली नज़र में यह लगे कि आवेदक को अपराध में झूठा फँसाया गया है और वह अपनी आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। (देखें डी.के. गणेश बाबू बनाम पी.टी. मनोकरण [डी.के. गणेश बाबू बनाम पी.टी. मनोकरण, (2007) 4 एससीसी 434 : (2007) 2 एससीसी (क्रि) 345], महाराष्ट्र राज्य बनाम मोहम्मद। साजिद हुसैन मो. एस. हुसैन [महाराष्ट्र राज्य बनाम मोहम्मद। साजिद हुसैन मो. एस. हुसैन, (2008) 1 एससीसी 213: (2008) 1 एससीसी (क्रि) 176] और भारत संघ बनाम पदम नारायण अग्रवाल [भारत संघ बनाम पदम नारायण अग्रवाल, (2008) 13 एससीसी 305: (2009) 1 एससीसी (क्रि) 111])"

आर्थिक अपराध

78. दंप्रसं की धारा 438 के तहत मिलने वाली शक्ति एक असाधारण उपाय है, इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत सोच-समझकर और कम ही किया जाना चाहिए; खासकर आर्थिक अपराधों के मामलों में। आर्थिक अपराध एक अलग श्रेणी में आते हैं क्योंकि वे समाज के आर्थिक ढांचे पर असर डालते हैं। प्रवर्तन निदेशालय बनाम अशोक कुमार जैन [प्रवर्तन निदेशालय बनाम अशोक कुमार जैन, (1998) 2 एससीसी 105: 1998 एससीसी (क्रि) 510] प्रकरण में यह कहा गया था कि आर्थिक अपराधों में आरोपी अग्रिम जमानत का हकदार नहीं होता है।"

15. सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) और अन्य (2020) 5 एससीसी 1 प्रकरण में, इस न्यायालय की संविधान पीठ ने कहा कि गिरफ्तारी से पहले जमानत देने के आवेदन पर विचार करते समय, न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, विवेचना की प्रक्रिया को प्रभावित करने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने या न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए।

न्यायालय ने कहा:-



"92.4. अग्रिम ज़मानत दी जाए या नहीं, इस पर विचार करते समय न्यायालय को आम तौर पर अपराध की प्रकृति और गंभीरता, आवेदनकर्ता की भूमिका और प्रकरण के तथ्यों जैसे पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। ज़मानत दी जाए या नहीं, यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है; साथ ही, अगर ज़मानत दी जाती है, तो किस तरह की विशेष शर्तें लगाई जाएं (या न लगाई जाएं), यह भी प्रकरण के तथ्यों और न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है।"

11. प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों के अनुसार, आवेदक पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आवेदक के अधिवक्ता यह साबित करने में नाकाम रहे हैं कि उनके खिलाफ दर्ज प्रकरण झूठा है। इस चरण पर, अभिलेख में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह कहा जा सके कि आवेदक के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई प्रकरण नहीं बनता है। अभिलेख में आए साक्ष्य और शुरुआती विवेचना से आरोपों के लिए एक उचित आधार बनता हुआ दिखाई देता है।

12. इस न्यायालय की राय में, नियमित जमानत और अग्रिम जमानत देने के पैमाने अलग-अलग हैं और यह जरूरी नहीं है कि जो आधार किसी आरोपी को नियमित जमानत पर रिहा करने के लिए काफी हों, वे उन्हें अग्रिम जमानत पर रिहा करने के लिए भी काफी हों। इसके अलावा, उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने **गुरबखश सिंह सिब्बिया और अन्य बनाम पंजाब राज्य, (1980) 2 एससीसी 565** के प्रकरण में भी कहा था कि अग्रिम जमानत देने की शक्ति एक असाधारण शक्ति है और इसलिए, इस न्यायालय की राय में, असाधारण शक्ति होने के कारण इसका इस्तेमाल सामान्य तरीके से नहीं किया जा सकता है।

13. इसलिए, ऊपर चर्चा किए गए प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, मेरी राय में, आवेदक अग्रिम जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

14. तदनुसार, यह अग्रिम जमानत आवेदन **खारिज किया जाता है।**

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

20 अगस्त, 2026

नितेंद्र

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।